

जबलपुर दिनांक 12/5/20

क्रमांक/डी.एम./ 1094

प्रति,

✓ कार्यपालन यंत्री,
(जल उत्पादन) नगरपालिक निगम,
जबलपुर

विषय :- जबलपुर जिले में उच्च स्तरीय पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.090 हे० वन भूमि कार्यपालन यंत्री, (जल उत्पादन) नगरपालिक निगम, जबलपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक/ एफ-5/ 898/ 2019/10-11/902 दिनांक 04/03/2020.

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जो आपको भी पृष्ठांकित है। पत्र द्वारा भारत सरकार की नवीन गाईड लाईन, 2019 अनुसार 01 हे० तक वन भूमि में प्रत्यावर्तन के अधिकार राज्य शासन को प्रदत्त है, के पालन में राज्य शासन की ओर से जबलपुर जिले में उच्च स्तरीय पानी की टंकी के निर्माण हेतु 0.090 हे० वन भूमि में सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्धारित शर्तों पर जारी की गई है। (प्रति संलग्न) पत्र द्वारा दिये गये निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही प्राथमिकता से पूर्ण करें :-

1. वन अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कलेक्टर जबलपुर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
2. नेट प्रेजेन्ट वैल्यु की राशि (रु० 56340/-) निम्नानुसार ई-पोर्टल में जमा कर प्रमाणक प्रस्तुत करें।

कक्ष क्रमांक	रकवा हे० में	वन की ईको श्रेणी	वन का घनत्व	नेट प्रेजेन्ट वैल्यु प्रति हे० (लाख में)	एन.पी.व्ही. जमा की जाने वाली राशि
PF-232	0.09	Eco -III	0.2	6.26	56340.00

3. सैद्धान्तिक स्वीकृति में अध्यारोपित शर्तों का बिन्दुवार पालन प्रतिवेदन टेबुलर फार्म में आवश्यक वचन पत्रों सहित प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

वन मंडल/अधिकारी
सामान्य वनमंडल जबलपुर